२६/5/२५

पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। मैंने सुनी गयी बहस व लिखित प्रावधानों पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी की भूमियों के राजस्व रिकार्ड व कब्जे, काश्त की पूर्ण जानकारी अपीलार्थी व उनके परिजनों को शुरु से ही रही है। अपीलार्थी ने मिथ्या तथ्यों के साथ यह अपील विलम्ब से पेश

की है। अत: अपील के गुणावगुण पर विचार करने से पहले मियाद का प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाकर मियाद अधिनियम धारा 5 को अस्वीकार किया जाता है। अत: प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मद्देनजर रखते हुवे मियाद अधि० धारा 5 के अस्वीकार होने से मूलत: अपील खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकण करा 2770 मिसल रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Bauloy

उपखण्ड अधिकारी, सांतारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– मोनिका सामोर, R.A.S.

अपील संख्या– 08 / 2020

1. प्रकाश चन्द आयु 62 वर्ष पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी पिपराली रोड़, वार्ड संख्या 54, समर्थपुरा, सीकर।

——अपीलाण्ट

ब ना म

1. गोपाल पुत्र ईश्वरराम जाति निवासी ग्राम कून्दन हाल आबादी मदनी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2. ग्राम पंचायत मदनी।
3. तहसीलदार, दांतारामगढ़ जिला सीकर।

——रेस्पोंडेन्टस

अपील अन्तर्गत 75 एलआर एक्ट विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 193 दिनांक 05 / 05 / 2002 द्वारा ग्राम पंचायत मदनी

उपस्थिति :–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, वकील अपीलाण्ट की ओर से।
2. रेस्पोंडेट संख्या 1 की ओर से वकील आनन्द राड़ हाजिर आये।

निर्णय

दिनांक–26 / 05 / 2025

1. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के दादा गोविन्द राम का निर्वसियति हिन्दू के रूप में देहांत होने पर उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के रूप मे चार पुत्र क्रमशः रामचन्द्र, रामलाल, ईश्वर राम, व बृजेन्द्र व धर्मपत्नी सुन्दरी देवी मौजुद रहते हुये भूमि पुराना खसरा नम्बर 377 रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा ख.न. 436 रकबा 66 बीघा 6 बिस्वा ख.न. 272 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा वाकै ग्राम मदनी के खातेदार गोविन्दराम की विरासत का नामान्तकरण संख्या 286 ईश्वर राम व सुन्दरी देवी ने अपीलान्ट के पिता रामचन्द्र व चाचा राम लाल, बृजेन्द्र के अस्तित्व को छुपा कर अकेले अपने नाम दर्ज करवा लिया जिसकी पृथक अपील विचाराधिन है। गत ख.न. 377, 436, 272 वाकै मदनी जिनके हाल ख.न. 1005 से 1008, 1013, 1014, 1003 / 1278, किता 7 रकबा 9.56 हैक्टर ख.न. 1123, 1124, 1155 से 1158, 1210, 1212 से 1217, 1158 / 1309 किता 14 कुल रकबा 17.14 है. तथा ख.न. 824 से 826, 828, 830 / 1346 किता 5 कुल 2.99 है. वाकै ग्राम मदनी की अनाधिकृत रूप से द खातेदार सुन्दरी देवी को बहला फुसला कर धोखा व मुगालता देकर संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिक सम्पति के सम्बंध में एक अनाधिकृत वसीयत दिनांक 14.08.1996 को रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने चाचा बृजेन्द्र से सांठ गांठ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़